

# प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार



क्रिया नेतृत्व क्षमता विकसित करती है, महिलाओं के मानव अधिकार को आगे बढ़ाती है और सभी लोगों के यौनिक और प्रजनन स्वतंत्रता पर कार्य करती है।

यह प्रकाशन क्रिया के “काउंट मी इन! इट्स माई बॉडी” प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है खेल कूद के ज़रिए किशोरियों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और उनकी समझ बढ़ाना ताकि वे अपने शरीर, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े सभी निर्णय खुद ले सकें। यह प्रोग्राम क्रिया अपने सहभागी संस्थाओं के साथ मिल कर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड में चला रही है।

# प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार

यौनिकता और प्रजनन स्वास्थ्य, एक—दूसरे से जुड़े हुए, फिर भी अलग—अलग मुद्दे हैं। कई बार इनके बीच कोई अंतर बताए बिना, इन्हें आपस में मिला दिया जाता है। प्रजनन स्वास्थ्य का संबंध, प्रजनन प्रक्रियाओं और कार्यकलापों से है। इसके तहत, सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारीपूर्ण, संतुष्ट और सुरक्षित सेक्स जीवन जीने की योग्यता और कब और कितने अंतर पर बच्चों को जन्म दिया जाए, इसका फैसला करना शामिल होता है। इसके तहत अपनी पसंद के सुरक्षित गर्भनिरोधकों और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी और उनके उपयोग का अधिकार शामिल है।

प्रजनन अधिकार, वे बुनियादी अधिकार हैं, जो बताते हैं कि सभी महिलाओं को यह फैसला करने का अधिकार होना चाहिए कि वे, कब और कितने बच्चे चाहती हैं। ये अधिकार, महिलाओं एवं लड़कियों को बिना किसी भेदभाव, दबाव और

हिंसा के, इस फैसले को करने में सहायक जानकारी और साधन मुहैया कराए जाने की ज़रूरत को भी पहचानते हैं।

भारत में प्रजनन अधिकारों को हमेशा शादी के साथ जोड़ कर देखा जाता है, लेकिन हकीकत में हमेशा ऐसा नहीं होता है। सभी महिलाओं को, चाहे वे वयस्क हों या युवा, चाहे शादीशुदा हों या नहीं, प्रजनन अधिकार प्राप्त है, जिससे वे फैसला कर सकती हैं कि वे रिश्ते बनाना चाहती हैं कि नहीं, किसी रिश्ते में वे क्या करना चाहती हैं और क्या नहीं, वे कब और किसके साथ शादी करना चाहती हैं। बुनियादी तौर पर इसका फिर से मतलब यही होगा कि अपने शरीर के बारे में खुद फैसले करने की आज़ादी, प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों का अभिन्न हिस्सा है।

इस दिशा में पहला कदम है, अपने शरीर के बारे में जानना

और समझना। बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने शरीर में आने वाले बदलावों को समझना, गर्भधारण कैसे हो सकता है, गर्भधारण को कैसे रोका जाए, अनचाहा गर्भधारण होने पर क्या किया जाए, ये सभी बातें प्रजनन अधिकारों के विषय हैं। इनके बारे में युवतियों और महिलाओं को जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें सभी विकल्पों का पता रहे और वे इन फैसलों को करने में समर्थ हों। प्रजनन अधिकारों का शरीर और स्वास्थ्य से गहरा संबंध है, इसलिए युवतियों और महिलाओं के लिए, सबसे ऊँचे दर्जे की प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार प्रदान कराने के लिए ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में सार्वजनिक और निजी चिकित्सा प्रणालियां बड़ी भूमिका अदा करती हैं। चिकित्सा तंत्र को भी महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वे महिलाओं की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील बन सकें और महिलाओं के

अनुकूल सेवाएं उपलब्ध करा सकें।

बहुत सी युवा लड़कियां जब यौन—संबंध बनाती हैं, या जब उनकी शादी हो जाती है, तो वे गर्भधारण और यौन—संचारित बीमारियों से बचने के लिए गर्भनिरोधकों का प्रयोग करती हैं। गर्भधारण और यौन—संचारित बीमारियों से बचने के लिए दंपतियों द्वारा कंडोमों का आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। कुछ महिलाएं गर्भधारण से बचने के लिए खाने की गर्भनिरोधक गोलियों का भी इस्तेमाल करती हैं। जब कोई अनचाहा गर्भधारण हो जाता है, तो कुछ महिलाएं, जो बच्चे नहीं चाहती हैं, वे गर्भ समापन चुनती हैं।

भारत में 20 सप्ताह की गर्भावस्था तक गर्भ समापन कानूनन जायज़ है। 12 सप्ताह के बाद, गर्भ के चिकित्सीय समापन के लिए दो डॉक्टरों के मंजूरी की ज़रूरत होती है।

अलग—अलग देशों में गर्भ समापन अलग—अलग ढंग से सुलभ है। कुछ देशों में राजनैतिक और धार्मिक दबावों के कारण गर्भ समापन गैर—कानूनी है, जो नहीं चाहते कि महिलाएं अपना फैसला खुद करें, जहां वे नहीं समझते कि कई बार महिलाओं की ऐसी परिस्थिति भी होती है कि वे बच्चे पालने में सक्षम नहीं होती हैं। सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनन जायज़ गर्भ समापन के अधिकार का उपयोग करने की आज़ादी होनी चाहिए।

अपने खुद के शरीर पर नियंत्रण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों का मूल मंत्र है। इसे संभव बनाने के लिए, यह निहायत ज़रूरी है कि यौनिकता, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के बारे में सभी लोगों को सही जानकारी हो।

# सहयोगी संस्थाएं

**महिला मंडल**

कार्यालय, ग्राम, पोर्ट, इटखोरी, ज़िला चतरा, पिन- 825408 झारखंड

**लोक प्रेरणा केन्द्र**

पी टी सी चौक, लालकोठी, भटवारी, ज़िला हज़ारीबाग, पिन- 825301,  
झारखंड

**प्रेरणा भारती**

पथरचपटी मधुपुर ज़िला देवघर, पिन- 815353, झारखंड

**सिंहभूमि ग्रामीण उन्नयन महिला समिति**

ग्राम झारिया वाया चाकुलिया ज़िला पूर्वी सिंहभूमि पिन- 832301, झारखंड

### **आंकाक्षा सेवा सदन**

गावं मैदापुर चौबे, पोस्ट खरूना, ज़िला मुज़्जफ़रपुर, पिन— 843113,  
बिहार

### **नारी निधि**

202 वैधनाथ पेलेस द्वितीय तल ए जगदेव पथ वैली रोड पटना,  
पिन— 800014, बिहार

### **सर्वो प्रयास संस्थान**

शंकर चौक वार्ड न0 6 मधुवनी पिन— 827211, बिहार

### **ग्रामोन्नती संस्थान**

सुभाश चौकी के पास, लघांनपुरा, महोबा— 210427, उत्तर प्रदेश

### **वीरांगना महिला विकास संस्थान**

132, गुसाईपुरा, झांसी, पिन— 284002, उत्तर प्रदेश

### **आग्राज़-ए-इन्साफ़**

एम— 2, 214, सेक्टर आई ,जानकीपुरम्, लखनऊ, पिन— 226021,  
उत्तर प्रदेश

यह प्रकाशन फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से तैयार किया गया है।

निशुल्क कॉपियाँ मंगवाने के लिए, संपर्क करें:

### क्रिया

7 बी जंगपुरा, नई दिल्ली 110014

फोन: +91-11-24377707 / 24378700, ईमेल: [crea@creaworld.org](mailto:crea@creaworld.org)

वेबसाइट: [www.creaworld.org](http://www.creaworld.org)



crea